**पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)**
**भारत सरकार**
*************
‘हर काम देश के नाम’

**नई दिल्लीः ज्येष्ठ 24, 1944**
**मंगलवारः 14 जून 2022**

## एक परिवर्तनकारी सुधार के अंतर्गत मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए 'अग्निपथ' योजना को स्वीकृति दी

## अग्निवीरों को चार साल के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत नियुक्त किया जाएगा

## तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्तों के साथ आकर्षक मासिक पैकेज

## चार साल की नियुक्ति अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' प्रदान की जाएगी

## इस साल 46,000 अग्निवीरों की होगी नियुक्ति

## सशस्त्र बलों के पास भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक युवा, सम्पुष्ट, विविधतापूर्ण स्वरूप होगा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए आकर्षक नियुक्ति योजना को स्वीकृति दे दी है। ‘अग्निपथ’ नामक इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीरों के रूप में जाना जाएगा। ‘अग्निपथ’ के अधीन देशभक्ति से ओतप्रोत युवा चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा कर सकेंगे।

‘अग्निपथ’ योजना को सशस्त्र बलों के युवा स्वरूप को साकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन युवाओं को एक अवसर प्रदान करेगा जो वर्दी पहनने के इच्छुक हैं, साथ ही उन युवाओं को भी आकर्षित करेगा जो वर्तमान तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप सहज हैं और कुशल, अनुशासित और प्रेरित जनशक्ति समाज में प्रयोग करते हैं। जहां तक सशस्त्र बलों का सवाल है, यह सशस्त्र बलों के युवा स्वरूप को सुदृढ़ करेगा और 'जोश' और 'जज़्बा' की एक नयी पहचान प्रदान करेगा, जबकि एक ही समय में एक अधिक तकनीकी प्रेमी सशस्त्र बलों की ओर एक परिवर्तनकारी सुधार लाएगा- जो वास्तव में समय की आवश्यकता है। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4-5 वर्ष की कमी आएगी। राष्ट्र को स्व-अनुशासन, कठिन परिश्रम और अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रेरित युवाओं के संचार से अत्यधिक लाभ होगा जो पूर्ण रूप से कुशल होंगे और अन्य क्षेत्रों में योगदान करने में सक्षम होंगे। राष्ट्र, समाज और राष्ट्र के युवाओं के लिए एक अल्प सैन्य सेवा का लाभांश बहुत बड़ा है। इसमें देशभक्ति, टीम वर्क, शारीरिक फिटनेस में वृद्धि, देशभक्ति और बाहरी खतरों, आंतरिक खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता शामिल है।

यह सरकार द्वारा तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए शुरू एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। यह नीति, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, तीनों सेनाओं के लिए नामांकन को संचालन करेगी।

## अग्निवीरों के लिए लाभ

अग्निवीरों को जोखिम और कठिनाई भत्तों के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा, जैसा कि तीनों सेवाओं में लागू होता है। चार वर्ष की नियुक्ति अवधि पूरी होने पर, अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवानिधि' का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उन पर अर्जित ब्याज और सरकार से अग्निवीरों के योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

| **वर्ष** | **अनुकूलित पैकेज (मासिक)** | **नकद भुगतान (70%)** | **अग्निवीर सामूहिक कोष में अंशदान (30%)** | भारत सरकार द्वारा सामूहिक कोष में योगदान |
|---|---|---|---|---|
| | सभी आंकड़े रुपए में है (मासिक अंशदान) | | | |
| **प्रथम वर्ष** | 30000 | 21000 | 9000 | 9000 |
| **द्वितीय वर्ष** | 33000 | 23100 | 9900 | 9900 |
| **तृतीय वर्ष** | 36500 | 25580 | 10950 | 10950 |
| **चतुर्थ वर्ष** | 40000 | 28000 | 12000 | 12000 |
| अग्निवीर सामूहिक कोष में चार साल बाद कुल योगदान | | | **5.02 लाख रुपए** | **5.02 लाख रुपए** |
| 4 साल के बाद | सेवानिधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपये<br>(लागू ब्याज दरों के अनुसार उपर्युक्त राशि पर संचित ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा) | | | |

'सेवा निधि' को आयकर से छूट दी जाएगी। ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी नियुक्ति अवधि के लिए अग्निवीरों को 48 लाख रुपये का अंशदान रहित जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्र सेवा की इस अवधि के दौरान, अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक स्वस्थता, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति के गुणों से प्रशिक्षित किया जाएगा। चार साल के इस कार्यकाल के बाद, अग्निवीर समाज में मुख्यधारा में वापस लौटेंगे जहां वे राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके अद्वितीय सारवृत्त का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निवीर, अपने युवाकाल के प्रारंभिक चरण में चार साल के कार्यकाल के पूरा होने पर, परिपक्व और आत्म-अनुशासित होंगे, जो पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से भी खुद का बेहतर रुप से तैयार कर सकेंगे। अग्निवीर कार्यकाल के बाद सिविल दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वे निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। इसके अलावा, लगभग 11.71 लाख रुपये की 'सेवा निधि' अग्निवीर को वित्तीय परेशानी के बिना उसके भविष्य के सपनों को साकार में मदद करेगी, जो कि आदर्श है।

नियमित संवर्ग के रूप में सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए चुने गए कार्मिकों न्यूनतम 15 वर्षों की आगे की नियुक्ति अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी और भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायु सेना में उनके समकक्ष और

भारतीय वायु सेना में उनके समकक्ष एवं भारतीय वायु सेना में नामांकित गैर लड़ाकू की सेवा के मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा संचालित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

यह योजना सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कार्मिकों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके अधिक युवा और तकनीकी रूप से कुशल युद्ध लड़ने वाले बल को तैयार करेगी।

**लाभ**

- सशस्त्र बलों की नियुक्ति नीति में परिवर्तनकारी सुधार
- युवाओं के लिए राष्ट्र सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का एक अनूठा अवसर
- सशस्त्र बलों का स्वरूप युवाओं से परिपूर्ण और ऊर्जस्वी बनाने के लिए
- अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज
- अग्निवीरों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में प्रशिक्षित करने और उनके कौशल तथा योग्यता को बढ़ाने का अवसर
- नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अच्छी तरह से अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता
- समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुन: रोजगार के अवसर
- अग्निवीर युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं

## नियम एवं शर्तें

'अग्निपथ' योजना के अंतर्गत, अग्निवीरों को चार वर्ष की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नियुक्त किया जाएगा। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक पाएंगे, जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग है। समय-समय पर सशस्त्र बलों द्वारा प्रख्यापित संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर, अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर उनकी चार साल की नियुक्ति अवधि के दौरान निष्पादन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर एक केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा। विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चयन सशस्त्र बलों का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।

सभी तीन सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से परिसर साक्षात्कार शामिल हैं। नामांकन 'अखिल भारतीय अखिल वर्ग' के आधार पर होगा और पात्र आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियों/संवर्गों पर लागू होता है। अग्निवीरों के लिए शैक्षिक योग्यता विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए वर्तमान योग्यता के अनुरूप रहेगी। (उदाहरण के लिए: सामान्य ड्यूटी (जीडी) सैनिक में प्रवेश के लिए, शैक्षिक योग्यता कक्षा दसवीं है)।

**एबीबी/डीके/डीएस/आरपी**